भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3836

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एनपीएफएएम

3836. डॉ. अमर सिंहः

श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि एवं विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे (एनपीएफएएम) के मसौदे पर आम सहमति बनाने के लिए किसान समूहों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कॉर्पोरेट शोषण और नियंत्रण से किसानों के हितों की रक्षा के लिए एनपीएफएएम के तहत नियामक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे उत्पादकों और किसानों पर एनपीएफएएम के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कानूनन गारंटीशुदा एमएसपी को कार्यान्वित करने की कोई समय-सीमा तय की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य का विषय है। विभिन्न राज्यों ने छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों की सहायता के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि उपज मार्केट समितियाँ (ए.पी.एम.सी.) स्थापित की हैं।

किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था। ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म ने अधिक बाज़ार पहुँच, बेहतर मूल्य निर्धारण, कम लेन-देन लागत, व्यापक बाज़ारों तक पहुँच, स्थानीय बाज़ार पर कम निर्भरता और बेहतर आय के अवसरों के माध्यम से ग्रामीण किसानों को उल्लेखनीय लाभ पहुँचाया है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान कर और नकद लेनदेन की आवश्यकता को कम कर पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

दिनांक 30 जून, 2025 तक, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,522 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म से एकीकृत किया जा चुका है। जून, 2024 से जून, 2025 तक इस प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार की मात्रा में 21% और व्यापार मूल्य में 22% की वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार हर वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है। सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एम.एस.पी. में वृद्धि की है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार), सरकार ने किसानों से 1,69,980.90 करोड़ रुपये मूल्य के 315.19 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद (तिलहन, दलहन और खोपरा) खरीदे हैं। मूल्य समर्थन प्रणाली (पीएसएस) और भावांतर भुगतान प्रणाली (पीडीपीएस) के योजना घटकों के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से दलहन, तिलहन और खोपरा हेतु, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****